

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937

No. 316]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015/VAISAKHA 29, 1937

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 मई, 2015

सा.का.नि. 394(अ).—कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की दिनांक 16 फरवरी, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 100(अ) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना में, उपाबंध IV में “ऐसे फार्मों को जो पीनियस मोनोडन संवर्धन के लिए रजिस्ट्रीकृत है, लाइटोपिनियस वेननमाई संवर्धन अनुज्ञात करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत” के अन्तर्गत क्रमांक (1) में “ब्रूडस्टॉक” शब्द को “पोस्ट लार्वी” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 35029/6/2014-मा. (ट्रेड)]

आदित्य कुमार जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th May, 2015

G.S.R. 394(E).—In the Notification dated 16th February, 2015 of the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) under G.S.R. 100 (E), under “Guidelines for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* culture to take up *Litopenaeus vannamei* culture” in Annexure-IV, in the item (1), the words “brood stock” shall be substituted with the words “post-larvae”.

[F. No. 35029/6/2014-Fy. (Trade)]

ADITYA KUMAR JOSHI, Jt. Secy.